XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1067–एक/12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बनेड़िया तहसील जावद जिला नीमच स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 15 में से 2 हैक्टर भूमि का भूमिस्वमी स्वत्वों पर पट्टा आवेदक को वर्ष 83–84 के पूर्व से कब्जा होने के कारण विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–19(4)/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–6–89 द्वारा प्रदान किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर इन्द्राज किया गया । इसके उपरांत वर्ष 95–96 के खसरे में नायब तहसीलदार, टप्पा सिंगोली के प्र0क0 3 अ/18/19(4)/88–89 के आधार पर पट्टा निरस्त किए जाने का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम खाते से कम करके भूमि शासकीय दर्ज की गई है । इस प्रविष्टि/आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम , 1984 के तहत विधिवत प्रकिया का पालन कर तथा आवेदक को पात्र पाए जाने के पश्चात प्र0क0 3/अ–19 (4)/ 1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–6–89 द्वारा किया गया था । व्यपस्थापन किए जाने के उपरांत आवेदक का नाम खसरों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया जो वर्ष 91–92 तक निरंतर रहा.	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश को विधि अनुसार बिना वरिष्ठ अधिकारी से पुनरावलोकन की अनुमति लिए अथवा स्वमेव निगरानी में लिए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है । वर्ष 95–96 के खसरे में उक्त पट्टा नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली द्वारा प्र0क0 3 अ/18/19(4)/88–89 द्वारा निरस्त किए जाने का उल्लेख है जबकि उक्त प्रकरण तहसील में उपलब्ध नहीं है और ना ही उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को कोई सूचनापत्र दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया । यह भी कहा गया कि खसरे में आवेदक का नाम काट कर भूमि शासकीय दर्ज करने की प्रविष्टि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार के कथित प्र0क0 3 अ/18/19(4)/88–89 में पारित आदेश एवं उसके आधार पर की खसरे में की गई प्रविष्टि को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली के आदेश के आधार पर आवेदक का पट्टा निरस्त किए जाने का खसरे में स्पष्ट उल्लेख है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत खसरा वर्ष 81–82 से 85–86 वर्ष 86–87 से 90–91, वर्ष 91–92 से 96–97 तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 89–90, 90–91 व 92–93 तथा तहसीलदार द्वारा भेजे गये खसरे की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि

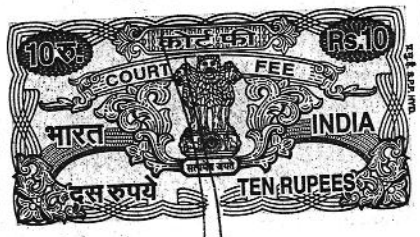

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला नीमच म. प्र.

R-1067-I/12 प्र.क्र. / 011-012 नि. मा.

देउबाई पिता नन्दाजी जाति धाकड़ आयु 58 वर्ष

निवासी बनेड़िया तहसील जावद जिला नीमच ----- आवेदक

विरुद्ध

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला नीमच ----- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भु. रा. संहिता सन् 1959 अनुसार

श्री रामनिवास पाटीदार अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत

8.2.12

RTAC